न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश जैतारण, जिला ब्यावर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील कुमार बिश्नोई, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या (C.I.S. No.) : 16/2026

निगरानीकर्तागण :–

1. कैलाश पुत्र शंकर,
2. गणपत पुत्र शंकर,
3. प्रकाश पुत्र शंकर,
4. भारत पुत्र शंकर,
5. मंगला पुत्र शंकर,
6. माणकराम पुत्र शंकर,

निवासीगण पीपाडा, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर, राज.।

बनाम

गैर–निगरानीकर्तागणः–

1. राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, जैतारण, जिला ब्यावर, राज.।
2. चम्पालाल पुत्र लालुराम, निवासी पीपाडा, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर, राज.।

दाण्डिक निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2026 फौजदारी प्रकरण संख्या 01/2026 बअनवान सरकार बनाम चम्पालाल व कैलाश वगैरह के विरुद्ध

उपस्थित :–

01. श्री रामस्वरूप चौधरी, विद्वान् अधिवक्ता – निगरानीकर्तागण की ओर से।
02. श्री जबरसिंह राजपुरोहित, विद्वान् अपर लोक अभियोजक, जैतारण गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 की ओर से।
03. श्री देवाराम कटारिया, विद्वान् अधिवक्ता – गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 की ओर से।

आदेश **दिनांक : 05.08.2026**

01. यह दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्तागण कैलाश व अन्य द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण के पीठासीन अधिकारी द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 01/2026, पुलिस थाना आनंदपूर कालू, अंतर्गत धारा 164, 165 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बअनवान सरकार बनाम चम्पालाल व कैलाश वगैरह में दिनांक 24.06.2026 को पारित आदेश से व्यथित होकर पेश की गयी है, जिसके सम्बन्ध में तलबीदा पत्रावली तलब की गई।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनिगरानीकर्ता प्रार्थी चम्पालाल ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 164, 165 बी एन एस एस उपखण्ड मजिस्ट्रेट जैतारण मे न्यायालय मे विरूद्ध निगरानीकर्ता के इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा पीपाडा पटवार हल्का फालका मे अनिगरानीकर्ता की पैतृक पुश्तैनी जमीन खसरा नम्बर 149, 150, 153, 166, 232, 357 की आयी हुई है। जिसमे खसरा नम्बर 150 के सम्बन्ध मे विवाद चला आ रहा है उक्त सम्पति अनिगरानीकर्ता के दादा पिता के नाम की थी और अब अनिगरानीकर्ता के नाम की है जिसमे निगरानीकर्ता का कोई लेना देना नहीं है निगरानीकर्ता ने दिनांक 12.11.2025 को आकर धमकी दी जिस पर थानाधिकारी आ०कालू ने उसे पाबन्द किया उसके बाद

दिनांक 07.12.2025 को कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी करने की धमकी दी जिस पर अनिगरानीकर्ता द्वारा एक स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.12.2025 को कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी नहीं करने हेतु अंतरिम स्टे आदेश पारित किया उसके पश्चात भी दिनांक 11.01.2026 को अप्रार्थीगण धनिगरानीकर्ता रात्रि को ट्रैक्टर लेकर आये तारामीणा व चने की फसल को नष्ट कर दिया जिस पर मुकदमा संख्या 23/2026 दर्ज हुआ अप्रार्थीगणध् निगरानीकर्ता कानून हाथ में लेकर शांति भंग कर खुन खच्चर करने पर आमादा है उपरोक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए खसरा नम्बर 150 की भूमि को कुर्क करने का आदेश प्रदान करावे और थानाधिकारी आ०कालू को रिसीवर मुकर्रर किया जावे। इस आशय का इस्तगासा न्यायालय ने जांच हेतु पुलिस थाना आ०कालू को दिनांक 05.05.2026 को भेजा तत्पश्चात थानाधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की जिस पर दिनांक 24.06.2026 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट जैतारण ने खसरा नम्बर 150 एवं उससे सम्बन्धित कृषि भूमि धारा 164, 165(2) बी.एन.एस.एस में तत्काल प्रभाव से कुर्क करने का आदेश देते हुए थानाधिकारी आ०कालू को रिसीवर मुकर्रर किया। उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्ता/अप्रार्थीगण की और से यह निगरानी याचिका पेश की।

आगे निगरानीकर्ता ने यह निगरानी याचिका निम्न आधार पर प्रस्तुत की है कि निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता चम्पालाल जो एक ही दादा पिता की संतान है और उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 150 व और अन्य भूमियां इनके दादा पिता की थी, जिसमें अनिगरानीकर्ता के पिता लालीया उर्फ लालु जो कर्ता खानदान थे और उन्होंने निगरानीकर्ता के पिता को जमीन कम दी थी, इसलिए उन्होंने अपने जीवनकाल मे मौके पर खसरा नम्बर 150 निगरानीकर्ता के पिता शंकर को अपने जीवनकाल अनिगरानीकर्ता के पिता ने सुपुर्द कर दी और तब से लेकर अर्थात सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक खसरा नम्बर 150 पर निगरानीकर्ता का कब्जा काश्त है और इससे पूर्व इनके दादा पिता का कब्जा काश्त था परन्तु रेकर्ड में नाम लालीया उर्फ लालु का दर्ज था और लालीया उर्फ लालु के फौत होने के पश्चात अनिगरानीकर्ता चम्पालाल व उसके भाईयों के नाम राजस्व रेकर्ड मे जमीन इन्द्राज हो गयी और इनकी नियत मे खोट आ गयी और इन्होने निगरानीकर्ता के नाम खसरा नम्बर 150 दर्ज करवाने से इन्कार कर दिया तब निगरानीकर्ता ने राजस्व न्यायालय में एक वादपत्र बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध अनिगरानीकर्ता के पेश किया जिसके राजस्व वाद संख्या 204/2025 वर्तमान मे सहायक कलेक्टर जैतारण के न्यायालय मे लम्बित है जिसकी आगामी तारीख पेशी 28.07.2026 है उसके साथ ही निगरानीकर्ता ने एक टी आई प्रार्थनापत्र संख्या 308/2025 पेश की जिस पर अनिगरानीकर्ता ने विस्तृत जबाब दिया और उस टी आई को सहायक कलेक्टर जैतारण ने मेरीट पर दिनांक 22.12.2025 को अंतिम रूप से निस्तारित किया और निगरानीकर्ता के पक्ष में आदेश पारित करते हुए यह आदेश दिया कि खसरा नम्बर 150 की जमीन को रहन बेचान हस्तान्तरण आदि नहीं करे व वर्तमान भु अभिलेख एवं मौके की स्थिति मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करे। इस सम्बन्ध में राजस्व वाद मे निगरानीकर्ता द्वारा खसरा गिरदावरी पेश की गई, जिसमें संवत 2010 से 2028 का अंकन है, इनमें फसल ज्वार, चना, तिल्ल बोने का अंकन है। उपरोक्त खसरा नम्बर 150 को संवत् 2014

से 2017 के बीच निगरानीकर्ता के पिता शंकर ने काश्त के लिये अपने गांव के ही हडमानदास साद व सुन्दरदास साद को काश्त के लिये दी थी। इन दोनों भाईयों ने काश्त की, जिसका हांसल निगरानीकर्ता के पिता को दिया, जो गिरदावरी संवत 2014 से 2017 से स्पष्ट है, तो इस प्रकार संवत 2010 से निगरानीकर्ता उपरोक्त आराजी पर काबिज है और अनिगरानीकर्ता का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा उपरोक्त घोषणा का वाद जो सहायक कलेक्टर जैतारण के न्यायालय में लम्बित है। उसके साथ में अनिगरानीकर्ता ने फेहरिस्त दस्तावेज पेश किया, जिसमें पुलिस थाना आ०कालू द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 14.11.2025 अन्तर्गत धारा 126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार शंकरलाल बिरदा के बडे भाई है तथा वर्तमान मे खसरा संख्या 150 पर सायलान् का कब्जा काश्त है अर्थात निगरानीकर्ता का कब्जा काश्त है, तो इससे भी स्पष्ट है कि जब पुलिस ने दोनों पक्षों को पाबन्द करने की कार्यवाही की, जिसका अंकन थानाधिकारी की जांच रिपोर्ट में है, तो जब पूर्व में थानाधिकारी आ०कालू द्वारा उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में जांच की गयी और दोनों पक्षों को पाबन्द किया। उसमें मौके पर कब्जा काश्त निगरानीकर्ता का बताया तो इसे स्पष्ट है कि मौके पर कोई विवाद नहीं है, न ही अनिगरानीकर्ता का कब्जा काश्त रहा केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज होने से अनिगरानीकर्ता जबरदस्ती काश्त रूकवाने के लिये उक्त कार्यवाही पेश की और उस पर अधिनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश पारित किया वह पूर्णतया कानून एवं विधि के विरूद्ध है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि दो पक्षों के बीच में यदि सम्पति को लेकर विवाद है, तो उसमें जांच करते समय या न्यायालय कोई भी प्रभावी आदेश पारित करते समय सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर ही कोई प्रभावी आदेश पारित किया जा सकता है। जबकि इस प्रकरण मे थानाधिकारी ने पूर्व में जब जांच की और उसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 14.11.2025 को न्यायालय में प्रस्तुत की उसमे मौके पर कब्जा काश्त निगरानीकर्ता का बताया और अब बिना निगरानीकर्ता के बयान लिये, बिना मौका देखे, बिना गांव या आस पडौस के लोगों के बयान लिये थाने मे बैठकर अनिगरानीकर्ता से सांठ गांठ व मिलीभगत कर एकतरफा रिपोर्ट तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में पेश कर दी और अधिनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता को बिना सुने, बिना नोटिस दिये और राजस्व न्यायालय मे वादपत्र लम्बित होते हुए। उक्त भूमि के सम्बन्ध में स्टे आदेश पारित किया उसमे भी राजस्व न्यायालय में खसरा नम्बर 150 पर निगरानीकर्ता का कब्जा काश्त होना प्रमाणित होने के बावजुद भी थानाधिकारी आ०कालू की एकतरफा रिपोर्ट को आधार मानकर बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा आदेश पारित किया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरित है, क्योंकि निगरानीधीन आदेश सीधे तौर पर निगरानीकर्ता के हितो पर प्रभाव डाल रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करते समय पुलिस थाना आ०कालू मे निगरानीकर्ता के विरूद्ध दर्ज एफ आई द्य आर संख्या 23/2026 का हवाला देकर उक्त आलौच्य आदेश पारित किया जबकि उक्त एफआईआर में वर्तमान थानाधिकारी ने जांच की। उस जांच में अनिगरानीकर्ता द्वारा दर्ज करवाया गया मुकदमा संख्या 23/2026 को झुठा मानकर अदम वकू झूठ में एफ.आर न्यायिक मजिस्ट्रेट जैतारण में पेश की तो जब वहीं थानाधिकारी एकतरफ अनिगरानीकर्ता द्वारा दर्ज करवाये गये

प्रकरण को झुठा मान रहा है एवं पूर्व में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी रिपोर्ट देते समय खसरा नम्बर 150 में कब्जा काश्त निगरानीकर्ता का मान रहा है और राजस्व न्यायालय ने भी दस्तावेज के आधार पर टी.आई आदेश में कब्जा काश्त निगरानीकर्ता का मानकर उनके पक्ष में टी.आई प्रार्थनापत्र मंजूर किया तो अब ऐसी कौनसी परिस्थितियां बदल गई कि उसी थानाधिकारी को एकतरफा रिपोर्ट बिना जांच किये अधिनस्थ न्यायालय में पेश करनी पडी और अधिनस्थ न्यायालय ने बिना निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा रिसीवर मुकर्रर करने का आदेश पारित करना पडा तो इन तमाम स्थितियों एवं परिस्थितियों से यह साबित है कि निगरानीधीन आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध तरीके से एकतरफा पारित किया जो निगरानीकर्ता के हितो पर भारी कुठाराघात कर रहा है क्योकि वर्तमान में बारिस का मौसम है और निगरानीकर्ता खसरा नम्बर 150 पर काश्त करके अपना व अपने परिवार का पेट पालते है इसलिए थानाधिकारी आ०कालू द्वारा झुठी रिपोर्ट पेश की गई और उसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकुल है तथा थानाधिकारी आ०कालू ने जिस 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथपत्र लिखकर दिया वह शपथपत्र अनिगरानीकर्ता के वकील साहब के ऑफिस में सहायक के रूप में काम करने वाले दिलीप कुमार पुत्र मंगलाराम ने स्टाम्प वेण्डर से खरीद कर थानाधिकारी को दिया और उस पर जो लिखावट है, वह भी वकील साहब के सहायक की है तथा सबसे कानूनी तथ्य है कि शपथपत्र को किसी नोटरी पब्लिक या ऑथ–कमिश्नर से प्रमाणित भी नहीं करवाया गया है तो इन तमाम तथ्यों से स्पष्ट है कि कितनी बडी मिलीभगती करके यह जांच रिपोर्ट बिना मौके पर गये एवं बिना गवाहान के बयानो के एकतरफा तैयार कर पेश की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के सर्वथा विपरित होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से काबिल अपास्त के है।

अनिगरानीकर्ता एवं उसके भाईयों ने दिनांक 09.04.2026 को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का सहायक कलेक्टर जैतारण के न्यायालय में पेश किया, जो राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 122 / 2026 है, जिसकी आगामी तारीख पेशी दिनाक 22.07. 2026 है, उसमें अनिगरानीकर्ता ने उक्त खसरा नम्बर 150 में कब्जा करने के लिये पुलिस इमदाद मांगी और उक्त प्रार्थनापत्र मे पुलिस इमदाद नहीं मिलने पर थानाधिकारी आ०कालू से सांठ गांठ कर उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164, 165 बी.एन.एस.एस की कार्यवाही प्रस्तुत की और उसमें एकतरफा रिपोर्ट पेश करवायी और उसमें बिना निगरानीकर्ता को सुने विधि विरूद्ध रूप से आदेश पारित करवाया जो काबिल अपास्त है। अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 150 सरहद मौजा पीपाडा मे स्थित कृषि भूमि को कुर्क कर रिसीवर मुकर्रर करने का आदेश दिनांक 24.06.2026 को पारित किया गया जिसके विरूद्ध निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त होने से यह निगरानी याचिका अन्दर मियाद है। निगरानी याचिका पर देय निर्धारित न्याय शुल्क पेश है। अन्त में निगरानी याचिका स्वीकार कर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24.06.2026 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

03. उभय पक्षों की बहस निगरानी याचिका सुनी गई। विद्वान्

अधिवक्ता–निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी याचिका में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2026 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यात्मक एवं विधिक दोनों ही स्थितियों में सर्वथा प्रतिकूल होने के साथ–साथ पूर्णतया गलत, आधारहीन एवं विधि–विरुद्ध होने से किसी भी स्थिति में कानूनन विद्यमान होने योग्य नहीं है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड मालिक है, जिसे उक्त वाहन सुपुर्दगीनामे पर लेने का पूर्ण हक अधिकार है। अंत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किए जाने का निवेदन किया।

04. गैर–निगरानीकतागर्ण की ओर से अधिवक्तागण ने निगरानीकर्ता के तर्कों का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि विद्वान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 24.06.2026 को पारित आदेश शुद्ध, वैध व औचित्यपूर्ण है। गैर निगरानीकर्ता की ओर से फार्म नंबर 3 के साथ आर.ए.ए के आदेश दिनांक 07.01.2026, नकल जमाबंदी सहित अन्य समस्त दस्तावेज पेश किये। अंत में निगरानीकर्तागण का प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। गैरनिगरानीकर्ता की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

1. 2013(3) CJ(Cri.) (SC) 345 [Ashok Kumar Vs State of Uttaranchal]
2. 1997 Cr.L.R. (Raj.) 94 [Sushil Kumar Vs State of Raj.]
3. 1997 Cr.L.R. (Raj.) 99 [Deva Lal Vs State of Raj.]
4. 1988 Cr.L.R. (Raj.) 571 [Narayan singh Vs State of Raj.]
5. 1994 Cr.L.R. (Raj.) 147 [Rajmal Vs State of Raj.]

05. उभय पक्षों के तर्को पर गौर किया गया, सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

06. इस निगरानी याचिका में न्यायालय को विचार करना है कि क्या विद्वान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा निगरानीकर्ता के विरुद्ध पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24.06.2026 शुद्ध, वैध व औचित्यपूर्ण है?

इस सम्बन्ध में उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24.06.2026 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164, 165(2) के तहत पारित करते हुए विवादित भूमि खसरा नंबर 150 एवं उससे संबंधित भूमि को तत्काल प्रभाव से कुर्क किया गया है तथा अप्रार्थी पक्ष को नोटिस जारी होकर वास्ते जवाब दिनांक 10.07.2026 को पत्रावली नियत की गई। दिनांक 10.07.2026 को दीगर कार्य में व्यस्तता के कारण इसे आगे दिनांक 20.08.2026 को नियत की जा चुकी है।

सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि उक्त आदेश की प्रकृति अंतरिम है अथवा अंतिम। इस न्यायालय के विनम्र मत में विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण द्वारा बाबत रिसीवर नियुक्त करने पारित आदेश दिनांक 24.06.2026 का अवलोकन करने पर ऐसी भूमि को दिनांक 24.06.2026 से ही तत्काल प्रभाव से कुर्क कर दी गई है तथा उक्त आदेश में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि यह आदेश गैर निगरानीकर्ता चम्पालाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 164, 165(2) के अंतिम निस्तारण तक ही प्रभाव में रहेगा। गैर

निगरानीकर्ता चम्पालाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष का अवलोकन करने पर अनुतोष भी यही चाहा गया है कि खसरा नंबर 150 रकबा 2.6952 हैक्टेयर की कृषि भूमि के उपयोग, उपभोग को लेकर हो रहे विवाद एवं मौके पर जनहानि होने एवं खून खच्चर होने की परिस्थिति को देखते हुए जांच करवाकर उक्त भूमि का रिसीवर नियुक्त कर संपत्ति को कुर्क की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 29.04.2026 को प्रस्तुत किया गया, जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा मूल इस्तगासा दिनांक 05.05.2026 को थाना प्रभारी अधिकारी, आनंदपूर कालू को भेजकर जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात थानाधिकारी, पुलिस थाना आनंदपुर कालू द्वारा दिनांक 23.06.2026 को चाही गई रिपोर्ट, जो कि खसरा नंबर 150 तक ही सीमित थी, से आगे बढते हुए खसरा नंबर 150 एवं उससे संबंधित भूमि के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जाकर प्रकरण की गंभीरता एवं तत्काल शांतिभंग की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए धारा 165 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत विवादित भूमि को न्यायालय अभिरक्षा में कुर्क किये जाने एवं ऐसी भूमि के संरक्षण, देखरेख एवं यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु रिसीवर नियुक्त किया जावे।

07. विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 24.06.2026 को जो आदेश पारित किया गया है, उसमें इसी थानाधिकारी की रिपोर्ट को हुबहु उदृत करते हुए पूर्व में उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना के खसरा नबंर 150 की 2.6592 हैक्टयेर कृषि भूमि के परे जाकर खसरा नंबर 150 एवं इससे संबंधित कृषि भूमि को तत्काल प्रभाव से कुर्क करते हुए थानाधिकारी, पुलिस थाना आनंदपूर कालू को रिसीवर नियुक्त किया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 165(2) का अवलोकन करने पर इस प्रकार है–

''जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषयवस्तु को कुर्क करता है तब यदि ऐसी विवाद की विषयवस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है तो, वह उसके लिए ऐसा व्यवस्था कर सकता है जो वह उस संपत्ति की देखभाल के लिए उचित समझता है या यदि वह ठीक समझता है तो, उसके लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन रिसीवर की होती हैं।''

08. उक्त प्रावधान अंतर्गत धारा 165(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्ति अत्यंतिक प्रकृति की नहीं है तथा इसे धारा 164 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विहित परिस्थितियों के संबंध में स्वयं का एक उद्देश्यप्रक समाधान होना आवश्यक है।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त उक्त शक्तियां असाधारण प्रकृति की है, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय के निर्णय से पूर्व ऐसी संपत्ति को कुर्क किया जाना असाधारण शक्तियां है तथा ऐसी असाधारण शक्तियों का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। गैर निगरानीकर्ता स्वयं की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2013(3) CJ(Cri.) (SC) 345 [Ashok Kumar Vs State of Uttaranchal] में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी

पक्षकार को विवादित विषयवस्तु के वास्तविक कब्जे में नहीं होने पर ऐसी संपत्ति को कुर्क किये जाने को वैध अवश्य ठहराया गया है, परंतु इसी निर्णय में आगे यह मत भी अभिव्यक्त किया गया है कि ऐसे आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलेख पर सामग्री अवश्य होना चाहिए।

09. हस्तगत प्रकरण में समस्त कार्यवाही थानाधिकारी, पुलिस थाना आनंदपूर कालू की जांच रिपोर्ट को आधार मानते हुए की गई है, जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को चाहिए था कि थानाधिकारी, पुलिस थाना आनंदपूर कालू की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का विश्लेषण उद्देश्यपरक ढंग से किया जाता। इस प्रकरण में थानाधिकारी, पुलिस निरीक्षक श्री राज दिपेन्द्र के समक्ष दो प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 23../2026 दिनांक 11.01.2026 तथा प्रति मुकदमा 38/2026 दिनांक 16.02.2026 दर्ज होने के पश्चात उक्त थाना प्रभारी अधिकारी, पुलिस निरीक्षक श्री राज दिपेन्द्रसिंह के द्वारा ही दोनों मामलों को झूंठा मानते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा इसी थानाधिकारी श्री राज दिपेन्द्रसिंह द्वारा ही एक शपथ पत्र 50 रूपये भारतीय गैर न्यायिक इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि भूमि खसरा नंबर 150 के संबंध में विवाद चल रहा है व दो प्रकरण 23/2026 व 38/2026 में अनुसंधान किया जा चुका है, सभी तथ्य उसकी जानकारी में सही है। इसके पश्चात बिना किसी सत्यापन के, बिना किसी दिनांक का हवाला दिये मात्र इन दो लाइनों के नीचे लघु हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। उक्त स्टाम्प जिस व्यक्ति दिलीप कुमार द्वारा खरीदा गया है, वह एक पक्ष से हितबद्ध होने के तर्क भी प्रस्तुत किये गये हैं तथा यह स्वीकृत तथ्य है कि शपथ पत्र स्वयं थाना प्रभारी अधिकारी द्वारा नहीं खरीदा गया है।

10. विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2026 का अवलोकन करने पर इसी विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व में राजस्व वाद में पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 का अवलोकन करने पर पद संख्या 7 में प्रथम दृष्टया मामला निगरानीकर्ता के पक्ष में मानते हुए, खसरा नंबर 150 अर्थात वादग्रस्त भूमि पर निगरानीकर्ता का ही कब्जा काश्त माना गया है। उक्त आदेश को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2026 के द्वारा पालना, प्रभाव व कियान्वयन स्थगित किया जा चुका है। उक्त आदेश भले ही स्थगित किया जा चुका हो, एक ही अधिकारी द्वारा राजस्व मामलों के निस्तारण के समय कब्जे के संबंध में अलग निष्कर्ष अंकित किया जाना तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 व 165(2) के परिवाद के समय अलग निष्कर्ष अंकित किया जाना गंभीर रूप से आक्षेपणीय है, क्योंकि दिनांक 22.12.2025 को जब इसी अधिकारी द्वारा कब्जा निगरानीकर्ता का माना गया एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 व 165(2) की कार्यवाही में इसके इतर थाना प्रभारी अधिकारी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए पूर्व में स्वयं के द्वारा पारित निष्कर्षों के विरूद्ध, पारित आदेश दिनांक 24.06.2026 किसी प्रकार से शुद्ध, वैध एवं औचित्यपूर्ण नहीं है। विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना आनंदपूर कालू के जिस शपथ पत्र को आधार माना गया है, उस शपथ पत्र की विषयवस्तु का उद्देश्यप्रकरक ढंग से अवलोकन ही नहीं किया गया। शपथ पत्र मात्र इस आशय का है कि दोनों ओर से दो प्रकरण दर्ज हुए, जो दोनों ही प्रकरण पुलिस द्वारा झूठे मान लिये गये।

आपराधिक प्रकरण दर्ज होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 165(2) के तहत उक्त वादग्रस्त खसरा नंबर 150 की 19 बीघा भूमि की देखरेख के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाना आपात स्थिति थी एवं उक्त के अलावा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह गया था।

11. इस प्रकार पूर्व में किये गये समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जिस थानाधिकारी, पुलिस थाना आनंदपूर कालू की जांच रिपोर्ट को आधार माना गया है, उक्त जांच रिपोर्ट एवं प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्य परस्पर विरोधाभासी है, क्योंकि स्वयं थानाधिकारी द्वारा उभयपक्ष की ओर से दर्ज करवाई गई दोनों ही मुकदमों को झूठा मानते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया। शपथ पत्र में थानाधिकारी द्वारा ऐसी किन्हीं परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया है कि वादग्रस्त खसरा नंबर 150 की भूमि के बाबत रिसीवर की नियुक्ति कियो जाने हेतु आपवादिक एवं अत्यंतिक आपात स्थिति किस प्रकार से थी। विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा इस थानाधिकारी से केवल खसरा नंबर 150 के संबंध में रिपोर्ट चाही गई, जो कि थानाधिकारी द्वारा खसरा नंबर 150 के साथ–साथ इससे संबंधित अन्य भूमि के संबंध में भी कुर्क किये जाने का इस्तगासा प्रस्तुत किया गया, जो इस तथ्य पर भी विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्वयं द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 308/2025 में पारित दिनांक 22.12.2025 के आदेश में निगरानीकर्ता का कब्जा भलीभांति मानते हुए ही प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु अभिनिर्धारित किये गये, जबकि इसी अधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164, 165(2) के परिवाद में अपने स्वयं के निष्कर्षों के परे थानाधिकारी की रिपोर्ट को जानबूझकर आधार मानते हुए विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिनांक 24.06.2026 पारित किया गया है, जो कि विधि की दृष्टि में अवैध, अशुद्ध एवं औचित्यविहीन है।

12. फलतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24.06.2026 अपास्त किये जाने योग्य है।

आदेश

13. परिणामतः निगरानीकर्ता कैलाश व अन्य द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर विद्वान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण को निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्ष को पुनः सुना जाकर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करे। विद्वान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट की तलबीदा पत्रावली आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

(सुनील कुमार बिश्नोई)
अपर सेशन न्यायाधीश, जैतारण

14. आदेश आज दिनांक 05.08.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(सुनील कुमार बिश्नोई)
अपर सेशन न्यायाधीश, जैतारण

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.05 17:09:16 IST